


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1263/2012.....जिला.....जोधपुर.....

उनवान- मै0 शिवा एन्टरप्राइजेज, बोरानाडा, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-पंचम् वृत्त-जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व त अहकाम जे हुक्म की त में जारी
07.04.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी - सदस्य</p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी पी औझा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विदद्दा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 1263/2012/जोधपुर विदद्दा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1263/2012/जोधपुर जरिये विदद्दा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोहर पुरी) सदस्य</p>	